ई–कुटेशन सूचना

जनपद पीलीभीत के समस्त टैन्ट व्यवसाइयों एवं लाइट डैकोरेटर्स को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत पीलीभीत के स्वामित्वाधीन/प्रबन्धाधीन पीलीभीत बैंकटहाल में शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों की टैन्ट/लाइट एवं साज–सज्जा आदि वर्ष–जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2020 (तीन वर्ष) तक व्यवस्था करने हेतु दिनांक–05–02–2018 को अपरान्ह 12 बजे तक ई–कुटेशन बेबसाइट http/equtation.up.nic.in पर आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिनांक को सायं 02 बजे समिति के समक्ष ऑनलाइन खोले जायेंगे। रुपया–50,000 की धरोहर जमानत राशि हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत के पदनाम से देय होगा, को ऑनलाइन आवेदन के साथ स्केन करना होगा, जो अधिकतम धनराशि के कुटेशनदाता को छोड़कर शेष कुटेशनदाता की धरोहर धनराशि कुटेशन स्वीकृत होने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी तथा स्वीकृत कुटेशन के ठेकेदार की धरोहर धनराशि ठेका समाप्ति के उपरान्त वापस की जायेगी। ई–कुटेशन डालने के समय समस्त टैन्ट व्यवसाइयों को जीएसटीएन0 रजिस्ट्रेशन एवं पैनकार्ड की स्केन प्रति संलग्न करनी होगी। कुटेशनदाता द्वारा यू0पी0 इलैक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन लि0 लखनऊ अथवा किसी भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट ऑथोरिटी द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है। कुटेशन को बिना कारण बताये किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार समक्ष प्राधिकारी में निहित होगा। प्रत्येक कुटेशनदाता द्वारा रुपया–100–00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र टी–6 पर ऑनलाइन स्केन करते हुये कुटेशन के साथ संलग्न किया जायेगा। उपरोक्तानुसार स्केन किये गये समस्त अभिलेखों की मूल एवं छायाप्रतियों सहित कुटेशन का सीलबन्द लिफाफा जिला पंचायत कार्यालय में निर्धारित स्थान पर रखे कुटेशन बॉक्स में दिनांक–05–02–2018 को अपरान्ह 2.00 बजे तक डाला जायेगा।

शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
पीलीभीत।

कार्यालय जिला पंचायत पीलीभीत।

पत्रांकः 1326 /जि0पं0/बरातघर/2017–18 दिनांकः– 24 जनवरी, 2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ।

1– मा0 अध्यक्ष,जिला पचायत,पीलीभीत।

2– वित्तीय परामर्शदाता,/अभियन्ता, जिला पंचायत,पीलीभीत को इस आशय के साथ कि उक्त निर्धारित दिनांक को कुटेशन खोलने के समय कार्यालय में उपस्थित रहें।

3– दैनिक समाचार पत्र आज एवं जनविश्वास को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह अपने सम्मानित समाचार पत्र में उक्त ई–कुटेशन सूचना कम से कम सूक्ष्म स्थान में प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

4– कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,
पीलीभीत।